आय–व्ययक एक दृष्टि में 2006–07

BUDGET AT A GLANCE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे A/Cs 2004-05	आय –व्ययक अनुमान B.E 2005-06	संशोधित अनुमान R.E 2005-06	आय –व्ययक अनुमान B.E 2006-07
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां **Revenue Receipts**	**17763.59**	**20538.33**	**20745.82**	**23991.35**
(अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	8414.82	9598.83	9724.44	10932.12
(ब) अ–कर राजस्व Non-Tax Revenue	2146.15	2461.57	2542.84	2701.89
(स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes	4305.61	5330.15	5300.08	6370.93
(द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid	2897.01	3147.78	3178.46	3986.41
2. **पूंजीगत प्राप्तियां** **Capital Receipts**	**12827.24**	**12052.09**	**8233.11**	**9689.92**
(अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans	124.63	106.43	117.31	107.83
(ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts				
(स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities	12702.61	11945.66	8115.80	9582.09
(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	(6681.55)	(4001.77)	(2000.64)	(4380.65)
(द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	-	-	-	-
2.1 **शुद्ध उधार** **Net Borrowing**	**6021.06**	**7943.89**	**6115.16**	**5201.44**
3. **कुल प्राप्तियां (1+2)** **Total Receipts**	**30590.83**	**32590.42**	**28978.93**	**33681.27**
4. **आयोजना भिन्न व्यय** **Non-plan Expenditure**	**23952.72**	**22341.69**	**20214.22**	**24752.31**
(अ) राजस्व खाते से	17164.22	18270.98	18134.10	20295.09
(ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment)	(5172.00)	(5319.26)	(5225.52)	(5802.25)
(ब) पूंजीगत खाते से On capital Account	6788.50	4070.71	2080.12	4457.22

आय–व्ययक एक दृष्टि में 2006–07

BUDGET AT A GLANCE

(Rs. In crores/ करोड़ रुपये में)

मद Items	लेखे A/Cs. 2004-05	आय –व्ययक अनुमान B.E 2005-06	संशोधित अनुमान R.E 2005-06	आय –व्ययक अनुमान B.E 2006-07
1	2	3	4	5
5. **आयोजना व्यय** **Plan Expenditure**	**5871.71**	**7788.69**	**7152.99**	**7112.04**
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	2236.68	3063.27	2530.53	2762.90
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	3635.03	4725.42	4622.46	4349.14
6. **केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय** **C.S.S.Expenditure**	**891.32**	**1482.76**	**1565.33**	**1756.07**
(अ) राजस्व खाते से On Revenue Account	505.29	727.08	946.56	976.36
(ब) पूंजीगत खाते से On Capital Account	386.03	755.68	618.77	779.71
7. **कुल व्यय (4+5+6)** **Total Expenditure**	**30715.75**	**31613.14**	**28932.54**	**33620.42**
(अ) राजस्व व्यय Revenue Expenditure	19906.19	22061.33	21611.19	24034.35
(ब) पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	10809.56	9551.81	7321.35	9586.07
8. **राजस्व घाटा / बचत (1–7अ)** **Revenue Deficit/Surplus**	**-2142.60**	**-1523.00**	**-865.37**	**-43.00**
(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा / बचत) (of which Non-plan Revenue Deficit/Surplus)	(-1382.23)	(-207.74)	(+215.39)	(+698.18)
9. **बजट घाटा / बचत (3–7)** **Budgetary Deficit/Surplus**	**-124.92**	**977.28**	**46.39**	**60.85**
10 **राजकोषीय घाटा** **Fiscal Deficit**	**-6145.98**	**-6966.61**	**-6068.77**	**-5140.59**
11 **प्रारम्भिक घाटा** **Primary Deficit**	**-973.98**	**-1647.35**	**-843.25**	**661.66**

आय व्ययक एक दृष्टि में

BUDGET AT A GLANCE

djkM+ :0
CRORE Rs.

ikfIr;k¡ RECEIPTS

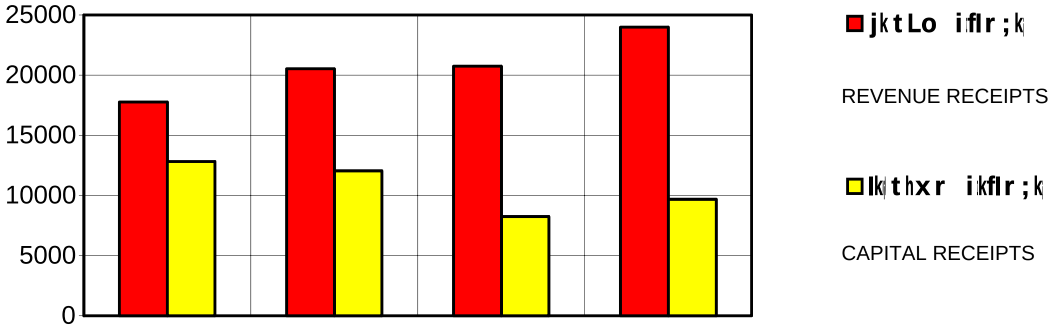

0;; EXPENDITURE

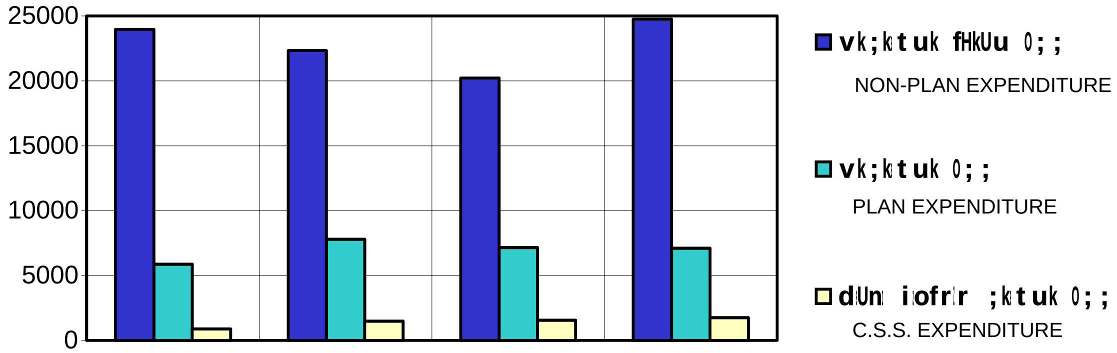

?kkVk@cpr DEFICIT@ SURPLUS

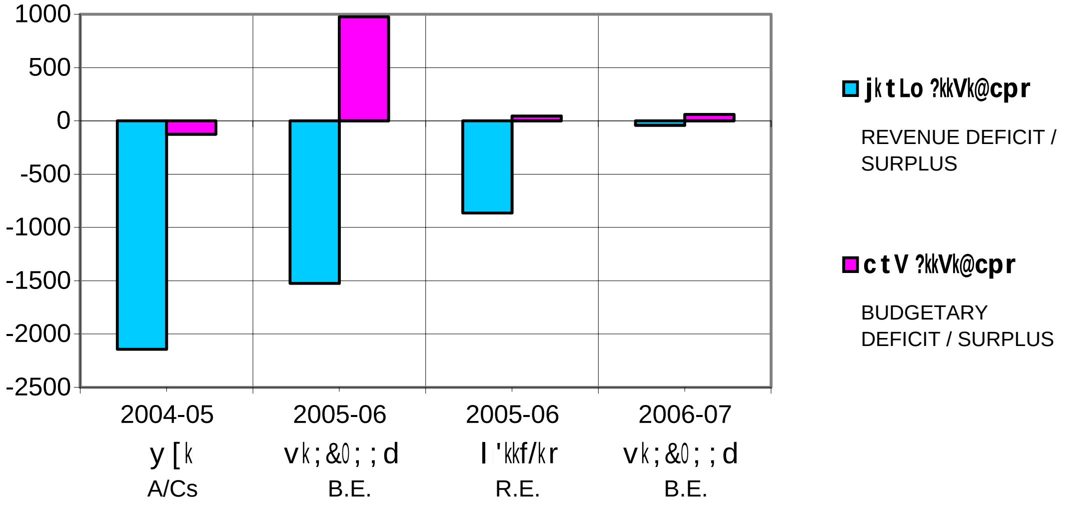

रुपया आता है

RUPEE COMES FROM

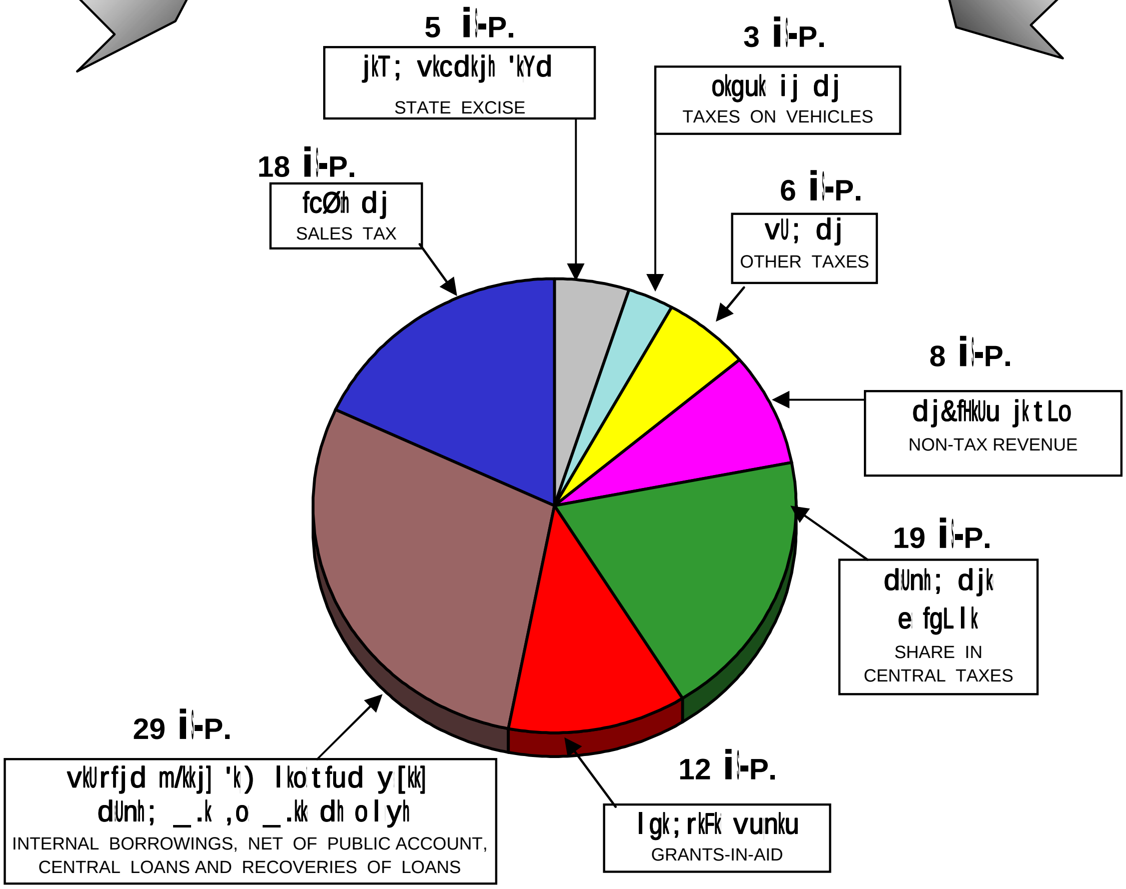

रुपया जाता है

RUPEE GOES TO

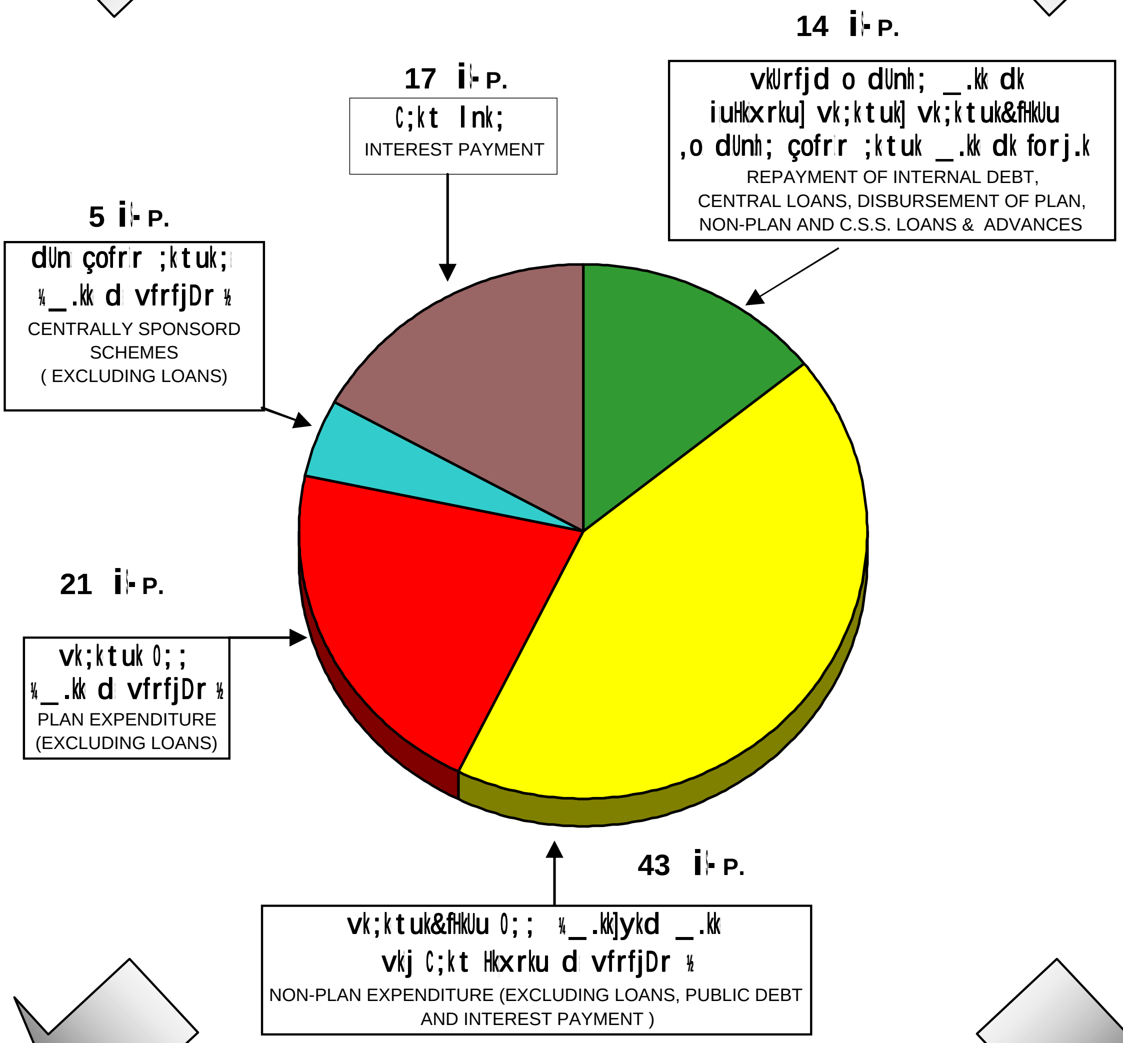

ikfIr;k

RECEIPTS

(Rs. In crores/ djkM+#i;s e)

	en Items	y[kk A/Cs. 2004-05	vk;&0;;d vuekku B.E 2005-06	I'kksf/kr vuekku R.E 2005-06	vk;&0;;d vuekku B.E 2006-07
	1	2	3	4	5
1.	**jkT; ds dj jktLo** **State's Tax Revenue**	**8414.82**	**9598.83**	**9724.44**	**10932.12**
(i)	Hk& jktLo Land Revenue	68.86	92.08	99.05	110.06
(ii)	enkd ,o iath;u Stamps & Registration	817.83	960.00	1000.00	1200.00
(iii)	jkT; vkcdkjh State Excise	1276.07	1508.00	1508.00	1600.00
(iv)	fcdh dj Sales Tax	4797.53	5425.00	5500.00	6240.00
(v)	okguks ij dj Tax on Vechicle	817.21	860.00	880.00	950.00
(vi)	fctyh 'kYd Electricity Duty	442.76	543.24	499.24	576.05
(vii)	vU; dj ,o 'kYd Other Taxes & Duties	194.56	210.51	238.15	256.01
2.	**dUnh; djks dk va'k** **Share in Central Taxes**	**4305.61**	**5330.15**	**5300.08**	**6370.93**
(i)	vk;dj Income Tax	788.91	1040.56	1031.56	1211.51
(ii)	fuxe dj Corporation Tax	1225.46	1609.78	1463.36	1895.20
(iii)	I?k mRiknu 'kYd Union Excise Duty	1197.71	1526.40	1378.90	1420.92
(iv)	Ihek 'kYd Custom Duty	864.73	853.77	1033.27	1255.00
(v)	Iok dj Service Tax	228.72	297.64	390.85	586.28
(vi)	vU; dj Other Taxes	0.08	2.00	2.14	2.02
3.	**dj fHkUu jktLo** **Non Tax Revenue**	**2146.15**	**2461.57**	**2542.84**	**2701.89**
(i)	C;kt ikfIr;k Interest Receipts	754.93	804.59	1009.56	915.75
(ii)	ykHkk'k ,o ykHk Dividends & Profits	37.19	19.86	19.86	22.53
(iii)	vU; dj fHkUu jktLo Other Non-Tax Revenue	1354.03	1637.12	1513.42	1763.61

ikfIr;k

RECEIPTS

(Rs. In crores/ djksM+ #i;s esa)

en Items 1	y[k A/Cs. 2004-05 2	vk; &0;;d vueku B.E 2005-06 3	l'kksf/kr vueku R.E 2005-06 4	vk; &0;;d vueku B.E 2006-07 5
3.1 lgk;rkFkZ vunku Grants-in-aid	2897.01	3147.78	3178.46	3986.41
3.2 dj fHkUu jktLo ,oa lgk;rkFkZ vunku Non Tax Revenue and Grants in Aid	5043.16	5609.35	5721.30	6688.30
3.3 dqy jktLo ikfIr;k ¼1$2$3-2½ **Total Revenue Receipts**	**17763.59**	**20538.33**	**20745.82**	**23991.35**
4. iwathxr ikfIr;ka **Capital Receipts**	**12827.24**	**12052.09**	**8233.11**	**9689.92**
(i) iR;knÙk m/kkj ,oa vfxze Recoveries of Loans & Advances	124.63	106.43	117.31	107.83
(ii) vkUrfjd _.k Internal Debt	5269.44	28060.22	24998.52	7449.97
(iii) dUnh; ljdkj ls fy;k x;k _.k Loans from Central Government	6521.96	-16963.53	-18583.18	756.52
(iv) vkdfLedrk fuf/k Contingency Fund	-	-	-	-
(v) 'kq) lkoZtfud y[kk Net Public Accounts	911.21	848.97	1700.46	1375.60
(vi) vU; iwathxr ikfIr;k Other Capital Receipts	-	-	-	-
5. dqy ikfIr;ka ¼3-3$4½ **Total Receipts**	**30590.83**	**32590.42**	**28978.93**	**33681.27**

प्राप्तियाँ RECEIPTS

jkT; dj jktLo
STATE'S TAX REVENUE

dUnh; djk dk v'k
SHARE IN CENTRAL TAXES

dj&fHkUu jktLo
NON-TAX REVENUE

lgk;rkFk vunku
GRANTS-IN-AID

iathxr ikfIr;k
CAPITAL RECEIPTS

djkM :0
CRORE Rs.

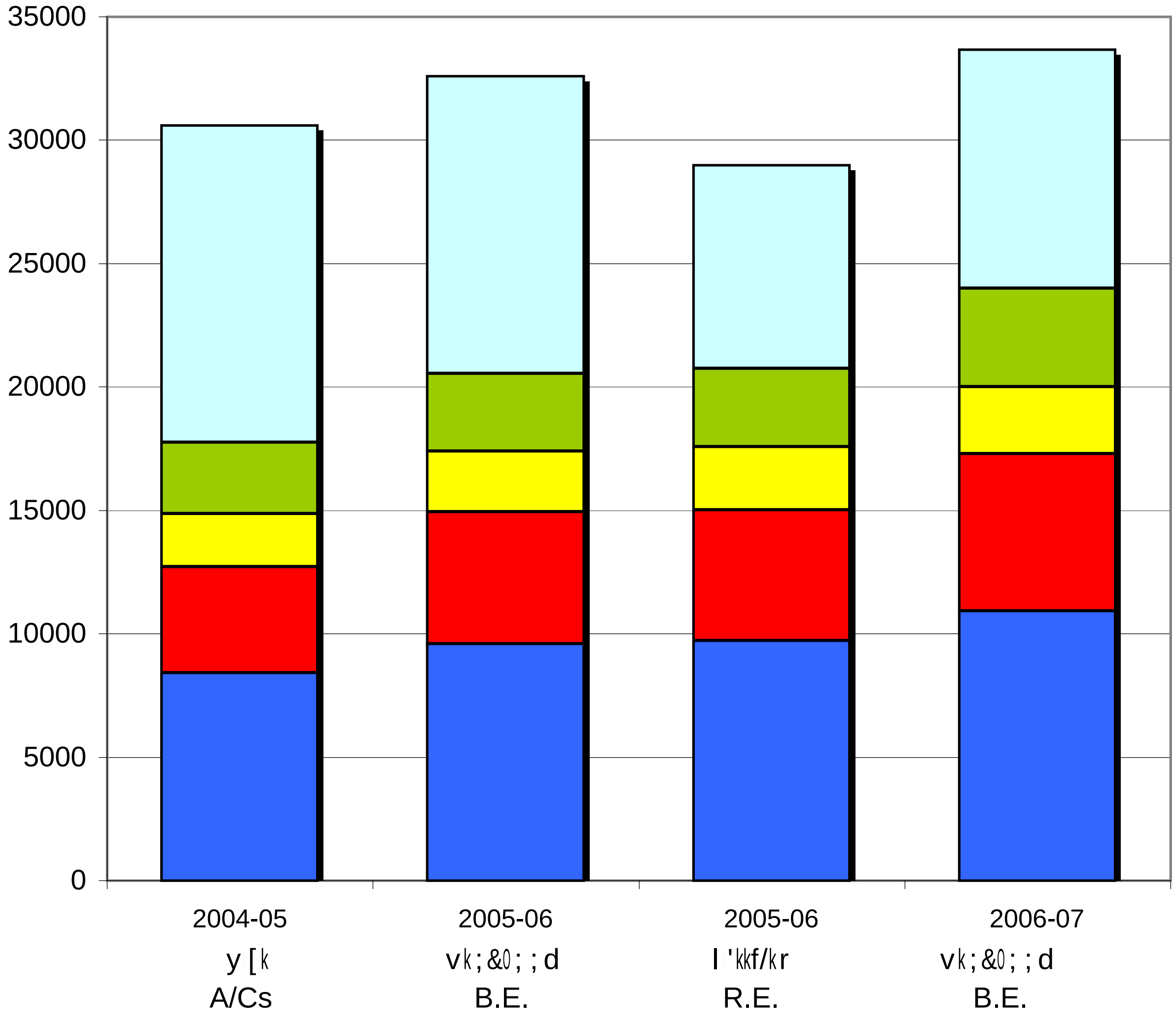

0;;

EXPENDITURE

(Rs. In crores/ djkM+#i;s esa)

	en	y[kk	vk;&0;;d vuekku	la'kksf/kr vuekku	vk;&0;;d vuekku
	Items	A/Cs. 2004-05	B.E 2005-06	R.E 2005-06	B.E 2006-07
	1	2	3	4	5
I	**jktLo 0;;**				
	REVENUE EXPENDITURE				
¼d½	**vk;kstukfHkÂé 0;;**	**17164.22**	**18270.98**	**18134.10**	**20295.09**
	NON-PLAN-EXPENDITURE				
1-	lkekU; lsok,a	8615.36	8863.90	8886.73	10220.91
	General Services				
2.	lkekftd lsok,a	6005.75	6760.23	6565.86	7029.14
	Social Services				
3.	vkfFkd lsok,a	2541.85	2643.95	2680.23	3044.91
	Economic Services				
4.	lgk;rkFk vunku ,oa va'knku	1.26	2.90	1.28	0.13
	Grants-in-aid & Contribution				
¼[k½	**vk;kstuk 0;;**	**2236.68**	**3063.28**	**2530.53**	**2762.90**
	PLAN EXPENDITURE				
1.	lkekU; lsok,a	19.83	54.75	25.15	20.70
	General Services				
2.	lkekftd lsok,a	774.80	1288.21	986.44	1076.98
	Social Services				
3.	vkfFkd lsok,a	1442.05	1720.32	1518.94	1665.22
	Economic Services				
4.	lgk;rkFk vunku ,oa va'knku				
	Grants-in-aid & Contribution				
¼x½	**dsUnz izofrZr ;kstuk**	**505.29**	**727.07**	**946.56**	**976.36**
	CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1.	lkekU; lsok,a	17.03	2.95	34.96	2.49
	General Services				
2.	lkekftd lsok,a	367.20	500.31	546.52	617.74
	Social Services				
3.	vkfFkd lsok,a	121.06	223.81	365.08	356.13
	Economic Services				
4.	lgk;rkFk vunku ,oa va'knku				
	Grants-in-aid & Contribution				
¼?k½	**dqy jktLo 0;; ¼I½ ¼d$[k$x½**	**19906.19**	**22061.33**	**21611.19**	**24034.35**
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE				

O;;

EXPENDITURE

(Rs. In crores/ djkM #i; e)

en Items	y[k A/Cs. 2004-05	vk; &O;;d vuekku B.E 2005-06	l'kkf/kr vuekku R.E 2005-06	vk; &O;;d vuekku B.E 2006-07
1	2	3	4	5
II. **iathxr O;;** CAPITAL EXPENDITURE				
¼d½ **vk;kstuk fHkUu O;;** NON-PLAN-EXPENDITURE	**67.79**	**65.75**	**66.65**	**67.44**
1. lkekU; lok,a General Services	25.77	35.87	32.61	27.06
2. lkekftd lok,a Social Services	41.95	29.61	33.85	40.36
3. vkfFkd lok,a Economic Services	0.07	0.27	0.19	0.02
¼[k½ **vk;kstuk O;;** PLAN EXPENDITURE	**3044.93**	**4359.03**	**4012.86**	**4192.24**
1. lkekU; lok,a General Services	32.03	74.11	89.43	56.45
2. lkekftd lok,a Social Services	1231.58	1711.66	1517.56	2043.93
3. vkfFkd lok,a Economic Services	1781.32	2573.26	2405.87	2091.86
¼x½ **dsUnz iksf"kr ;kstuk** CENTRALLY SPONSORED SCHEME	**375.57**	**736.14**	**609.36**	**764.39**
1. lkekU; lok,a General Services	23.93	10.49	27.10	9.82
2. lkekftd lok,a Social Services	274.79	631.15	464.09	639.25
3. vkfFkd lok,a Economic Services	76.85	94.50	118.17	115.32
¼?k½ **dqy iathxr O;;(II) ¼d$[k$x½** TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II)	**3488.29**	**5160.92**	**4688.87**	**5024.07**
III. **ykd _.k ¼vk;kstuk fHkUu½** PUBLIC DEBT (NON-PLAN)	**6681.55**	**4001.77**	**2000.63**	**4380.66**
IV. **_.k ,o vfxze** LOAN AND ADVANCES	**639.72**	**389.12**	**631.85**	**181.34**
1. vk;kstuk fHkUu Non-Plan	39.17	3.19	12.84	9.12
2. vk;kstuk Plan	590.10	366.39	609.60	156.90
3. **dsUnz iksf"kr ;kstuk** C.S.S.	10.45	19.54	9.41	15.32
ogr iathxr O;; GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	**10809.56**	**9551.81**	**7321.35**	**9586.07**

व्यय EXPENDITURE

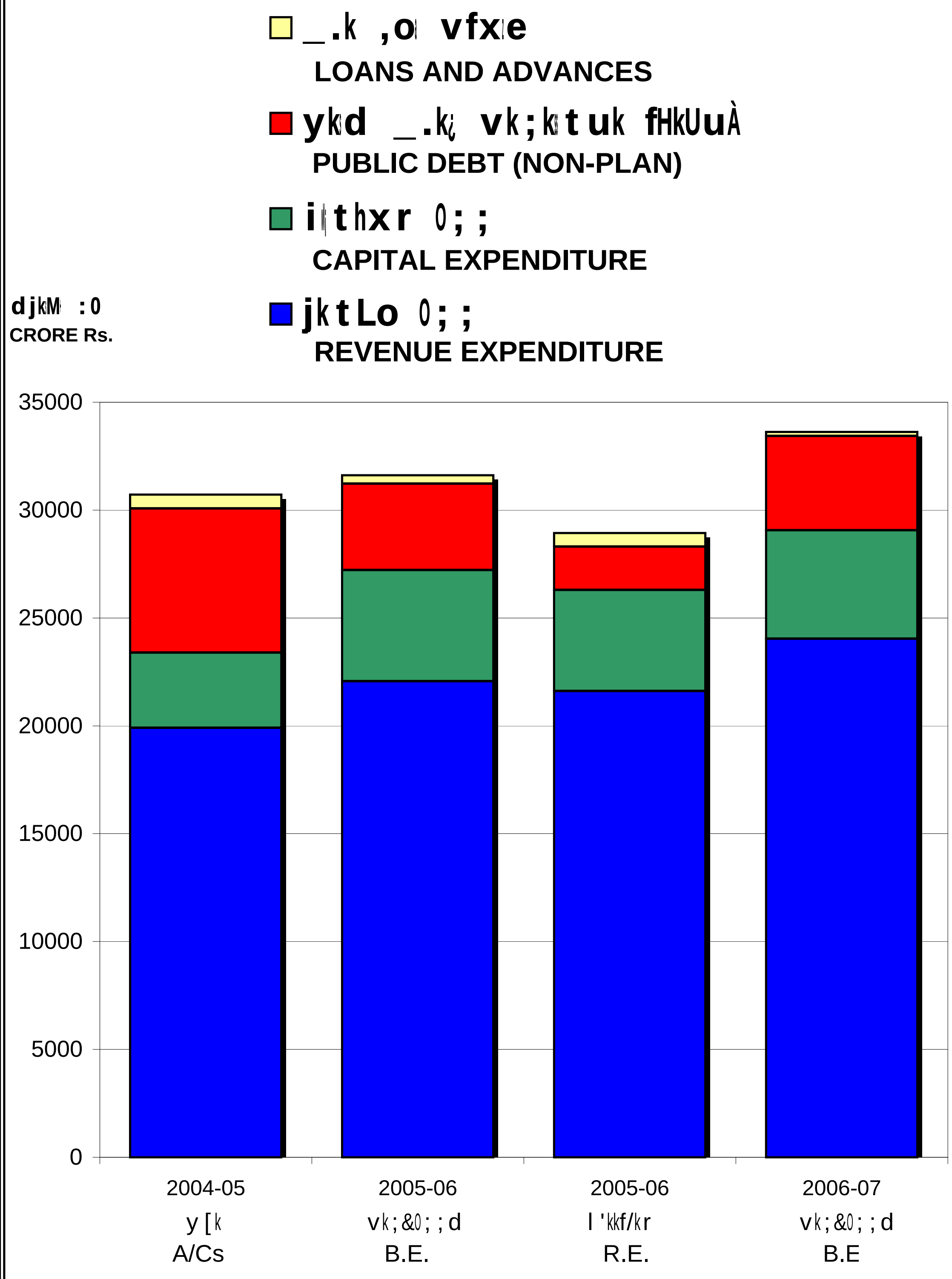

वार्षिक योजना 2006-07 के प्रस्तावित मुख्य बिन्दु

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिये कुल 232.22 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें रुपये 8.24 करोड़ कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं उदयपुर, रुपये 84.00 करोड़ कृषि उत्पादन, रुपये 45.09 लाख भूमि एवं जल संरक्षण, रुपये 18.48 करोड़ पशु पालन, रुपये 70.25 लाख मत्स्य पालन, रुपये 103.00 करोड़ वन विभाग की गतिविधियों, रुपये 6.50 करोड़ कृषि साख, रुपये 2.70 करोड़ स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग तथा रुपये 8.15 करोड़ सहकारिता के लिये प्रावधान सम्मिलित है।

कृषि

- ✍ मुख्य फसलों के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के लक्ष्य निम्नानुसार रखे गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	बोया जाने वाला क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	उत्पादन
1.	खाद्यान्न	115.70	151.95 लाख टन
2.	तिलहन	50.25	66.25 लाख टन
3.	गन्ना	0.05	2.50 लाख टन
4.	कपास	5.00	13.00 लाख गांठे

उद्यान

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य
1.	फलदार पौधों का वितरण	संख्या लाख में	40.00
2.	नए फलोद्यानों में पौधरोपण	क्षेत्रफल हैक्टेयर	10000.00

पशुपालन

कं.सं.	कार्य	इकाई	लक्ष्य
1	कृत्रिम गर्भाधान	लाख में	11.00
2	बन्ध्याकरण	लाख में	8.25

कं.सं.	कार्य	इकाई	लक्ष्य
3	फर्टीलिटी कैम्प	संख्या	25000
4.	भेड़ों को दवा पिलाना	लाख में	150.00
5.	भेड़ों में दवा छिडकाव	लाख में	70.00
6.	भेडों में टीकाकरण	लाख में	68.00

मत्स्य पालन

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य
1.	मत्स्य बीज उत्पादन	संख्या मिलियन में	300.00
2.	मत्स्य उत्पादन	मैट्रिक टन	20000.00

वानिकी

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये जापान बैंक (J.B.I.C.) द्वारा 442.00 करोड़ रुपये लागत की एक बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 18 जिले सम्मिलित किये जायेंगे। वार्षिक योजना 2006-07 में इस परियोजना के लिये 90. 00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न गतिविधियां जैसे 39017 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण, 20400 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्यवाही के कार्य और 466 भू एवं जल संरक्षण के संरचनात्मक कार्य वर्ष के दौरान कराये जायेंगे।

सहकारिता विभाग

वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 3110.00 करोड़ रुपये के ऋण वितरण किए जाएगें

अल्पकालीन	-	2700.00 करोड़ रुपये
मध्यकालीन	-	100.00 करोड़ रुपये
दीर्घकालीन	-	310.00 करोड़ रुपये
		3110.00 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिये 799.32 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसमें 120 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजना के लिये और 243.74 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान सम्मिलित है।

महिला विकास कार्यक्रम

महिला विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2006-07 में रुपये 8.20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसमें 42.00 लाख रुपये स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण हेतु एवं नई प्रस्तावित स्वावलम्बन (नोराड) योजना हेतु 32.00 लाख रुपये एवं महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान हेतु 24.92 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।

इन्दिरा आवास योजना

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य
1.	नए मकानों का निर्माण	संख्या	35278

मिड डे मील

वर्ष 2006-07 में प्राथमिक विद्यालयों के 101 लाख विद्यार्थियों को 200 दिन पोषक भोजन पोषाहार के माध्यम से दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने हेतु 180. 00 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्यांश राशि के रूप में किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक्ट 2005 को लागू करने के लिए राज्य आयोजना में 20.00 करोड रुपये का प्रावधान 2006-07 हेतु प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम केन्द्र व राज्य के मध्य 90:10 के अनुपात में चलाई जाएगी।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के फण्डिंग पैटर्न में संशोधन यथा 11:1 (केन्द्र:राज्य) के फलस्वरूप एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2006-07 में 1.65 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम

विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 39.57 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें रुपये 2.75 करोड़ मेवात विकास बोर्ड, रुपये 30.32 करोड़ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रुपये 2.50 करोड़ सहरिया एवं काथोडी जाति विकास तथा रुपये 4.00 करोड़ मगरा क्षेत्र के सम्मिलित है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिये 2006-07 में कुल 925.57 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये 852.60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसमें 210.00 करोड़ रुपये का प्रावधान इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये, 200.00 करोड़ रुपये विश्व बैंक की सहायता से संचालित राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना, 128.81 करोड़ रुपये नर्बदा परियोजना, 60.30 करोड़ रुपये मध्यम सिंचाई परियोजना, 60.00 करोड़ रुपये सतही लघु सिंचाई कार्यो, 30 करोड रुपये बीसलपुर परियोजना और 47 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना, 50 करोड़ रुपये जल एकत्रीकरण ढांचों के निर्माण कार्यो एवं 43 करोड़ रुपये गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिये सम्मिलित हैं।
- तीन वृहद सिंचाई परियोजनायें यथा बीसलपुर, माही बजाज सागर तथा रतनपुरा वितरिका, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, चौली एवं 24 लघु सिंचाई परियोजनाएं वर्ष 2006-07 में पूर्ण की जावेगी।

निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत 1,70,000 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है:

स्कीम	इकाई	लक्ष्य
1. मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना (सिंचाई विभाग द्वारा)	हैक्टेयर	6960
2. गंग केनाल आधुनिकीकरण	हैक्टेयर	14450
3. रतनपुरा	हैक्टेयर	590
4. नर्बदा परियोजना	हैक्टेयर	74000
5. बीसलपुर परियोजना	हैक्टेयर	9000
6. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	हैक्टेयर	65000
योग		170000

सिंचित क्षेत्र विकास

- सिंचित क्षेत्र विकास के लिये कुल 62.89 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कुल 28.01 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर में 20,300 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण किया जायेगा।
- सिद्धमुख नोहर सीएडी परियोजना के लिये राज्यांश की राशि उपलब्ध कराने हेतु 1827.85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 22850 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- जैसलमेर, बीकानेर जिलों में मंडियों के विकास हेतु 125.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत 4000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 700.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सिंचित क्षेत्र विकास - अमरसिंह जैसाना क्षेत्र में 10000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य किया जाना है, वर्ष 2006-07 में 800.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

ऊर्जा

- वर्ष 2006-07 में ऊर्जा क्षेत्र के लिये कुल 1999.65 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- विद्युत उत्पादन के लिये 252.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है इसमें धोलपुर गैस परियोजना के प्रथम चरण हेतु 100.00 करोड़ रुपये, गिराल लिग्नाइट परियोजना द्वितीय चरण हेतु 100.00 करोड़ रुपये, 50 करोड रुपये छबडा थर्मल पॉवर परियोजना प्रथम चरण एवं 2 करोड़ रुपये सर्वेक्षण का प्रावधान सम्मिलित है।
- विद्युत प्रसारण मद के लिये कुल 690.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें से 290 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 हेतु और 400.00 करोड़ रुपये एफ.आर.पी. के अन्तर्गत ट्रांजीशन सहायता के सम्मिलित हैं।
- विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये 1049.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 30.00 करोड़ रुपये, 375.00 करोड़ रुपये फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम, 200.00 करोड़ रुपये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रावधान सम्मिलित हैं।

- बाह्य सहायता प्राप्त मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना हेतु 6.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- वर्ष 2006-07 में कुल 738 गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2006-07 में 45,000 कुओं का ऊर्जाकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2006-07 में 56700 कनेक्शन कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत दिया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग एवं खनन

- उद्योग एवं खनन क्षेत्र के लिये वर्ष 2006-07 में 203.60 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।
- उद्योगों को ब्याज अनुदान योजना के लिए वार्षिक योजना 2006-07 में 80.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- वर्ष 2006-07 में सिरेमिक टेस्टिंग लेबोरेटरी तथा ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन केन्द्र, बीकानेर को पूर्ण करने हेतु रुपये 160.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।
- नमक क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिये रुपये 200.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उत्पादन एवं अतिरिक्त नियोजन का सृजन निम्नानुसार प्रस्तावित है :

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य
1.	ऊनी खादी का उत्पादन	लाख रुपये	700.00
2.	सूती खादी का उत्पादन	लाख रुपये	1300.00
3.	ग्रामोद्योगों से उत्पादन	लाख रुपये	7959.00
4.	अतिरिक्त नियोजन सृजन	व्यक्तियों की संख्या	23020

सड़क, पुल एवं यातायात

- यातायात क्षेत्र के लिये कुल 855.94 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है इसमें 605.64 करोड़ रुपये सड़क एवं पुल, 86.80 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य परिवहन निगम, 140 करोड़ रुपये कृषि विपणन बोर्ड, 23 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य

सड़क विकास निगम और 50.00 लाख रुपये का प्रावधान यातायात विभाग के लिये सम्मिलित है।

- 1500 कि.मी. लम्बाई के राज्य उच्च मार्गो एवं मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं मरम्मत कार्य केन्द्रीय सड़क कोष से किया जाना प्रस्तावित है।
- लगभग 2000 कि.मी. की वर्तमान अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
- सड़कों के विकास कार्यो के लिये राज्य सडक विकास कोष हेतु 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 500 कि.मी. लम्बाई के राज्य उच्च मार्गो एवं मुख्य जिला सडकों के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य राज्य सड़क कोष से किया जाना प्रस्तावित है।
- 1300 कि.मी. डब्लू.बी.एम. सडकों को बी.टी. रोड में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।
- 100 कि.मी. की सड़कों का निर्माण धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2006-07 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 625 नई बसों की खरीद किए जाने का प्रस्ताव है।

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को 3247.51 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा

सामान्य शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिये वर्ष 2006-07 में 365.51 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिये राज्यांश हेतु 22.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के लिये वर्ष 2006-07 में 35.33 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा एवं महाविद्यालय

- महाविद्यालय शिक्षा हेतु 1285.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु वर्ष 2006-07 में 220.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर हेतु वर्ष 2006-07 में 180.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावति किया गया है।
- नवीन विश्वविद्यालय कोटा के लिये वर्ष 2006-07 में 180.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- नवीन विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिये वर्ष 2006-07 में 180.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रौढ़ शिक्षा

- प्रोढ शिक्षा हेतु 1107.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

- राज्य में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये 15-35 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने हेतु 5000 महिला शैक्षणिक शिविर आयोजित किये जावेंगे एवं 474 व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावेगा।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा हेतु 2956.51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें तकनीकी शिक्षा निदेशालय हेतु 2700.00 लाख रुपये का प्रावधान सम्मिलित है।

युवा मामले एवं खेल विभाग

वर्ष 2006-07 में राजस्थान खेल परिषद के लिये 250.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। खेल विभाग के लिये 120.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जिसमें 40.00 लाख रुपये युवा बोर्ड जो कि विभिन्न युवाओं के खेल की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये सम्मिलित हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र आयुर्वेद सहित के लिये कुल 233.13 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- राजकीय चिकित्सालय सोजत को 100 शैय्याओं से 150 शैय्याओं में उच्चीकृत करने हेतु 61.82 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- आयुर्वेद निदेशालय हेतु वर्ष 2006-07 में 897.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं हेतु कुल 659.12 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है। शहरी पेयजल योजनाओं हेतु कुल 371.00 करोड़ रुपये, जिसमें बाह्य सहायता प्राप्त बीसलपुर पेयजल योजना, जयपुर के लिए 190. 95 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, एवं 288.12 करोड़ रुपये ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं।

✍ कुल 9952 ''एन'' श्रेणी के ग्रामों व आंशिक पेयजल सुविधा से पूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है :-

	कार्य	लक्ष्य
1.	मुख्य आबादी	29
2.	अन्य आबादी (ढाणी एवं मजरा)	423
3.	आंशिक सुविधा से पूर्ण सुविधा	9500

मुख्य मुख्य पेयजल योजनाओं के लिये किये गये प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

	योजना	राशि
1.	जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना (प्रोरेटा सहित)	190.95
2.	मानसी वाकल पेयजल परियोजना	1.00
3.	देवास फेज-II पेयजल परियोजना, उदयपुर	20.00
4.	चम्बल-धोलपुर-भरतपुर परियोजना	8.00
5.	चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर परियोजना	7.00
6.	जोधपुर राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना फेज-II	10.00
7.	सरवार-नसीराबाद पाईपलाइन परियोजना	5.00
8.	रामगंज मण्डी-पचपहार परियोजना	22.86
9.	ग्रीष्मकालीन आकस्मिक कार्य	32.50
10.	बीसलपुर-दूदू परियोजना	9.00
11.	शौचालय परियोजना	26.15
12.	डोमेस्टिक डिफलेरिडिफिकेशन प्लान्ट	6.00
13.	शहरी पेयजल योजना की क्रियान्विति एवं पुनर्सरचना	72.59
14.	पूर्व में चल रही ग्रामीण पेयजल योजनाओं को क्रियान्विति एवं पूर्ण करने के लिए	81.05
15.	जंवाई जोधपुर पाईप लाईन परियोजना	7.00
16.	नागौर लिफ्ट केनाल	10.00
17.	छॉपी से झालावाड व झालरापाटन हेतु पेयजल योजना	5.00
18.	रिंग्स क्रय	16.50

आवास

- आवासीय क्षेत्र के लिये 136.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। जिसमें 130.00 करोड़ रुपये राजस्थान आवासन मण्डल, 2.50 करोड़ रुपये राजकीय आवास, 3.00 करोड़ रुपये न्यायिक आवास एवं 1.00 करोड़ रुपये पुलिस आवास योजनाओं के सम्मिलित हैं।
- वर्ष 2006-07 में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्र में 5000 आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय विकास

- नगरीय विकास क्षेत्र के लिये कुल 1284.24 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन हेतु 74.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- राज्य वित्त आयोग के तहत 80.77 करोड़ रुपये, एवं चुंगी भरण हेतु अनुदान के लिये 544.46 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- एशियन विकास बैंक की सहायता से संचालित 6 प्रमुख नगरों की विकास परियोजना हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें 150 करोड़ रुपये बीसलपुर पेयजल योजना के ट्रांसमिशन सिस्टम के सम्मिलित हैं।
- लघु एवं मध्यम शहरों के आधारभूत विकास योजनान्तर्गत 59.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- समग्र आवास एवं गन्दी बस्तियों के विकास कार्यक्रम के लिए 47.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के 5500 व्यक्तियों को शहरी रोजगार कार्यक्रम में लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही लाभप्रद सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.50 लाख मानव दिवस सृजित किया जाना प्रस्तावित है।
- शहरी जन सहभागिता योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- हेरिटेज वाक परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

पिछड़ी जातियों का कल्याण एवं समााज कल्याण

अनुसूचित जातियों व जनजातियों का कल्याण

- समाज कल्याण विभाग के लिये कुल 103.97 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 20 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 100 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- ''स्वावलम्बन योजना'' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवार के व्यक्तियों जिनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर तक की है को लाभान्वित करने के लिये 70.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जातियों के 132360 विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जनजातियों के 81176 विद्यार्थियों को उत्तर- मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जातियों के 37567 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिनके माता-पिता अस्वच्छ कार्यो में कार्यरत हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा अधिकार कार्यक्रम के लिए 250.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अनाथ बच्चों के पालनहार योजनान्तर्गत 80. 00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, इसमें उनके लिए भोजन, वस्त्र आवास एवं शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था की जाती है।

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

- 1666 पोलियो करेक्शन कैम्प विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 50.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रोस्थेटिक सहायता उपकरणों के वितरण द्वारा 2500 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिये 130.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 30000 विकलांगों को छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

- बी.पी.एल. परिवारों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विकलांग हैं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु 20.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

पोषाहार

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में 44.66 लाख लोगों को पोषाहार से लाभान्वित किया जावेगा। इस कार्यक्रम में 137.15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। 35551 सहयोगिनियों को मानदेय हेतु 22.71 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सैनिक कल्याण बोर्ड

सैनिक कल्याण बोर्ड के लिये 100.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

आर्थिक सेवाऐं

आर्थिक सेवाओं के लिये कुल 204.91 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना

- विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना वर्ष 2000 में राज्य के 7 जिलों में आरम्भ की गई। इस परियोजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक स्तर, उत्पादकता एवं आय को उन्नत करना है। वर्ष 2006-07 तक 7039 गॉंवों के 350000 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। यह योजना विश्व बैंक द्वारा दो वर्षो के लिये और बढा दी गई है।
- वर्ष 2006-07 हेतु 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी :-

सूचना प्रौद्योगिकी के लिये वर्ष 2006-07 में 50.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जिसमें 796.38 लाख रुपये सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय एवं 4253. 62 लाख रुपये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इसमें 1095.00 लाख रुपये एन.ई.जी.ए. पी. के सम्मिलित हें।

पर्यटन

राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से पर्यटन विकास हेतु 2800.01 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 200.00 लाख रुपये मेवाड़ कॉम्पलैक्स एवं 600.00 लाख रुपये हवाई पट्टी हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- राशन टिकिट योजना वर्ष 2006-07 में भी चालू रहेगी। इस योजना हेतु 50.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्देशानुसार उन चयनित वृद्ध व्यक्तियों को प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न मुफ्त दिया जावेगा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्कीम के योग्य है लेकिन उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। यह स्कीम जनवरी, 2003 से राज्य आयोजना में स्थानांतरित कर दी गई है। वर्ष 2006-07 में इस योजना हेतु 700.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

जनजाति विकास योजना

जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में रुपये 130.65 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जिसमें रुपये 7550.01 लाख का प्रावधान महाराष्ट्र पैटर्न अन्तर्गत निर्बन्ध राशि के रूप में रखी गई है तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 3284.60 लाख एवं संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत 2200.00 लाख रु. का प्रावधान भारत सरकार से जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु प्राप्त होगा।

सामान्य सेवाएं

सामान्य सेवाओं के लिये कुल 51.72 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- वर्ष 2006-07 में न्यायिक भवनों के लिये 2548.47 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है एवं न्यायिक अकादमी के लिये 52.33 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- राज्य एवं जिला स्तर के प्रशासनिक भवनों के विकास हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 354.57 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- राजस्थान विनियोग पालिसी में सब्सिडि के तहत वाणिज्यक कर विभाग के लिए 800.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।